566

संख्या /52 /XXIV(6)/2014/26(4)12

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
दून विश्वविद्यालय,
देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 27 मार्च, 2014

विषयः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के आयोजनागत पक्ष (Plan) में दून विश्वविद्यालय हेतु प्राविधानित ₹10.00 करोड की धनराशि को महिला छात्रावास निर्माण कार्यों हेतु पी0एल0ए0 में रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकः 24/70/आर–डीयू/2014 दिनांक 16.1.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें महिला छात्रावास से संबंधित कार्यों हेतु आंगणन उपलब्ध कराया गया।

2– दून विश्वविद्यालय, देहरादून मे महिला छात्रावास निर्माण कार्यों हेतु उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित आंगणन ₹ 1160.00 लाख के विरूद्ध टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि ₹ 943.08 लाख (131. 39 अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 सहित) एवं व्यय वित्त समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार उक्तवत् कुल ₹1074.47 लाख (₹ दस करोड चौवहत्तर लाख सैतालीस लाख मात्र) की संस्तुति की गई।

3– उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दून विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास निर्माण कार्यों हेतु टी0ए0सी0/व्यय वित्त समिति द्वारा उक्तानुसार अनुमोदित/संस्तुत धनराशि ₹1074.47 लाख (₹ दस करोड चौवहत्तर लाख सैतालीस लाख मात्र) के विरूद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में **विश्वविद्यालय हेतु प्राविधानित ₹10.00 करोड की धनराशि को संगत लेखाशीर्षक से आहरित करते हुए पी0एल0ए0** में निम्नांकित शर्तो के अधीन जमा किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(i) व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांकः 13.2.2014 में दिए गए निर्देशानुसार तृतीय पक्ष के परीक्षणोपरांत उनके द्वारा संस्तुत कार्यों के अनुरूप ही विश्वविद्यालय द्वारा Uttarahand Procurement Rules, 2008 के अनुसार कार्य कराए जाएंगे। तृतीय पक्ष के परीक्षणोपरांत उनके द्वारा संस्तुत कार्यों के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं कराए जाएगे और इससे पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा निर्माण एजेंसी को धनराशि अवमुक्त नही की जाएगीं।

(ii) **स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने की प्राथमिकता को दृष्टिगत् रखते हुए ही शासन स्तर से अनुमोदन के उपरांत ही विश्वविद्यालय द्वारा धनराशि आहरित की जायेगी।** महिला छात्रावास निर्माण कार्य हेतु प्रतिकक्ष 03 Bed का प्राविधान करते हुए Structural design, working plan गठित किया जाय।

(iii) पी0एल0ए0से धनराशि के आहरण हेतु राज्य के वित्तीय संसाधन एवं वित्तीय प्रबन्धन को भी ध्यान में रखकर 04 किश्तों में धनराशि आहरित कर व्यय हेतु दी जाएगी। कार्यदायी संस्था को धनराशि भुगतान से पूर्व अनुबन्ध करा लिया जाय। प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद द्वितीय किश्त निर्गत की जाएगी।

(iv) **चयनित कार्यदायी संस्था को कार्यों हेतु जब धनराशि निर्गत की जायं, उसके पूर्व उक्त कार्यो का तृतीय पक्ष मूल्यांकन (Third Party Evaluation) करा लिया जाय, ताकि कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।** आंगणन दरों को जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट के स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का

G.O. Letter

व्यय नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्य के आंगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा, एवं किसी भी द
अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जाएगी।

(v) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृ
प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(vi) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। निर्माण सामग्री उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रयोग किया जाय।

(vii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकाताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(viii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 2047/XIV-2219(2006) दिनांकः 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आंगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4– निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमन्य दरों पर कराया जाए एवं विशेष रूप से किए जाने वाले कार्यों की गणना पृथक रूप से आंगणन में की जाए। कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराए जाने हेतु निरन्तर अनुश्रवण एवं समीक्षा किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तदायी मानी जाएगी।

5– व्यय उन्हीं कार्यो/योजनाओं मदों पर किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा तथा समय–समय पर वित्त विभाग के निर्गत शासनादेशों में वित्तीय एवं मितव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए सम्बन्धित् अधिकारी उत्तरदायी होंगें।

6– निमार्ण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)2007 दिनांक 15.12.2008 की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से M.O.U हस्ताक्षरित किया जाएगा। प्रकरणाधीन कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश दिनांकः 551/XXVII(1)2010 दिनांकः 19.10.2010 के आलोक में द्वितीय चरण के प्राथमिक कार्यों के लिए समयबद्धता के आधार पर कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, देहरादून द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा आहरित करते हुए नियमानुसार पी0एल0ए0 मे जमा की जाएगी।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 391(P)/XXVII(3)/2013 दिनांकः 28 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से तथा तथा www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट **एलॉटमेंट आई0डी0संख्या–H1403113413, H1403113416** (प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत किए जा रहे है।

9– इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत् पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत् परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–आयोजनागत–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–15–दून विश्वविद्यालय–35–पूँजीगत् परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव ।

.....3

पृष्ठांकन संख्याः 152(1)/XXIV(6)/2014/26(4)12 दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. कोषाधिकारी, देहरादून।
6. उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।
8. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
10. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
उप सचिव ।